"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च 2010—फाल्गुन 11, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 मार्च, 2010 (फाल्गुन 11, 1931)

क्रमांक-2597/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010), जो दिनांक 26 फरवरी, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010" कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् कोई नया शिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से पुर:स्थापित किया जा सकेगा".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. विकासोन्मुख विश्वविद्यालय में देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ प्रतियोगिता हेतु समय-समय पर, नये विषय/नये संकाय प्रारंभ करना स्वाभाविक तथा अनिवार्य प्रक्रिया है.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची के कॉलम 7 में शिक्षण कार्यक्रम के लिये प्रावधान दिया गया है, अतएव कोई नया शिक्षण कार्यक्रम/नये विषय/नये संकाय, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से पुर:स्थापित किये जाने के लिये कॉलम 7 में संशोधन अपेक्षित है.

3. अत: यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 10 फरवरी, 2010

हेमचंद यादव
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 9 (1) का उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 9 (1) स्थापना तथा निगमन विनियामक आयोग द्वारा धारा-8 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय के धारा-7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.